ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-3* April- 2020
Innovation The Research Concept

भारतीय आपदा प्रबंधन की स्थिति (विश्वव्यापी महामारी कोविड–19 के संदर्भ में)

Indian Disaster Management Status (With Reference to the Worldwide Pandemic Covid-19)

Paper Submission: 20 /04/2020, Date of Acceptance: 23/04/2020, Date of Publication: 28/04/2020

चतुर्भुज यादव
सहायक प्रोफेसर,
लोक प्रशासन विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

आपदा प्रबंधन 21वीं सदी में एक उभरता हुआ प्रशासनिक विषय हैं। किसी भी राष्ट्र की क्षमता का मापन उसके आपदा प्रबंधन तंत्र की सुदृढ़ता से किया जाता हैं। बीसवीं सदी के अंतिम दशकों से लेकर वर्तमान तक आपदाओं की प्रकृति में आमूलचूल अंतर आए हैं। जहां प्राकृतिक आपदाएं भी मानव जनित आपदाओं के साथ मिलकर एक नए संकट को जन्म दिए हैं। पहले जहां जहां आपदाओं का क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र हुआ करता था वहीं अब कोविड–19 जैसी नई आपदाओं ने भी दस्तक दी है जहां आपदाएं विश्वव्यापी परिक्षेत्र में विस्तृत होती है। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 इस प्रकार की पारदेशीय आपदाओं (Cross Boarder Disasters) के लिए अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा हैं। कोविड–19 संकट के दौरान पूरे देश में भारत सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत तालाबंदी(Lockdown) के दौरान आपदा प्रबंधन के भीतर प्रबंधन की आपदा (Disaster by management) भी देखा जा रहा है। जिसमें स्वयं तालाबंदी श्रमिकों के पलायन, क्वॉरेंटाइन सेंटरों पर व्यवस्थाएं, केंद्र व राज्य के मध्य बढ़ता संघर्ष तथा आर्थिक चुनौतियों जैसी अनेक चुनौतियां ने भारत के आपदा प्रबंधन तंत्र पर पुनर्विचार के लिए मजबूर कर दिया हैं।

Disaster management is an emerging administrative theme in the 21st century. The capacity of a nation is measured by the strength of its disaster management system. From the last decades of the twentieth century to the present, there have been radical differences in the nature of disasters. Where natural disasters have also given rise to a new crisis along with man-made disasters. Previously, where the area of disasters used to be a limited area, now new disasters like Kovid-19 have also knocked where disasters are widespread in the worldwide range. The Disaster Management Act 2005 in India is losing its relevance for these types of transnational disasters (last minute penguins). During the Kovid-19 crisis, the management of disaster within the disaster management (kenzmat il uandhamumdj) is also being observed by the Government of India throughout the country during the lockout (Swabakwud) under this Act. Many challenges such as migration of lockout workers, arrangements at quarantine centers, escalating conflict between the center and the state and economic challenges have forced India's disaster management system to be rethought.

मुख्य शब्द : तालाबंदी(लॉकडाउन), आपदा प्रबंधन, प्रबंधन की आपदा, आपदा जोखिम, प्रथक्करण (आइसोलेट), कोविड–19, कोरोना योद्धा, कोरोना (वारियर्स), क्वॉरेंटाइन।

Lockout (Lockdown), Disaster Management, Disaster Management, Disaster Risk, Isolation, Covid-19, Corona Yora, Corona (Warriors), Quarantine.

प्रस्तावना

चीन के बुहान शहर से प्रारंभ हुआ कोरोना वायरस का संकट ने मानवीय अस्तित्व के समक्ष एक नवीन आपदा को जन्म दिया है। इस आपदा ने विश्व के अनेक देशों के समक्ष इससे निपटने की एक चुनौती प्रस्तुत की है।

विश्व के सभी देश अपनी–अपनी राजनीतिक,प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं के अनुसार निपटने की रणनीति पर कार्य कर रहे हैं। यह संकट भारत में आने से पूर्व चीन, इटली, स्पेन, जर्मनी एवं अमेरिका जैसे विकसित देशों में तबाही ला चुका है। भारत में भी इस संकट ने अपनी दस्तक दी है तथा भारत भी अपनी राजनीतिक,प्रशासनिक,आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप इससे निपटने की रणनीति पर काम कर रहा है। विश्व के अन्य देशों में कोविड–19 की आपदा के विकराल होते हुए रूप को देखते हुए भारत ने 24 मार्च 2020 को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की। उसके उपरांत इसे चार बार बढ़ाया जा चुका है। यह लॉकडाउन विश्व के अन्य देशों के उठाए गए कदमों की तुलना में निश्चित रूप से ही अधिक कठोर कदम है। इस लॉकडाउन से जहां एक और संक्रमण की विस्तार की दर पर अंकुश लगा वही इस कदम के उपरांत भारत की सड़कों पर पलायन, भूख, पुलिस की बर्बरता व प्रशासन कि मूकदर्शिता कि जो तस्वीरें देखने को प्राप्त हुई, ऐसी तस्वीर दुनिया के अन्य किसी देश में देखे नहीं गई। कोविड–19 की इस आपदा से निपटने के लिए जहां एक और लॉकडाउन को प्रभावी कदम माना जा रहा है वहीं दूसरी ओर इस लॉकडाउन के कारण जो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है वे स्वयं अपने आप में एक नवीन आपदा को जन्म दे रही है। यह आपदा के भीतर किसी आपदा से कम नहीं है। दूसरी ओर आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के बहुत बड़ी मंदी के संकट में फंसने की भी आशंका फलीभूत होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक ओर भारत का मीडिया भारतीय जनमानस में सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को साहसिक व राजनीतिक सूझबूझ का करार दे रहा है तो दूसरी ओर भारत के स्वास्थ्यकर्मी, प्रशासन कर्मियों एवं पुलिस कर्मियों को कोरोना की जंग में योद्धा के रूप में प्रस्तुत कर एक ऐसे लोकमत का निर्माण कर रहा है जहां आलोचनाओं एवं प्रश्न का कोई स्थान नहीं हो । लेकिन ऐसी विकट परिस्थितियों में ही भारत के आपदा प्रबंधन तंत्र का सही परीक्षण करने का समीचीन अवसर होता है। इस पूरे परिदृश्य में इस प्रश्न का मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोरोना संकट और उससे लड़ने के लिए उठाए गए लॉकडाउन जैसे कदम हमारी सशक्त राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था को प्रतिबिंबित करती है अथवा हमारे आपदा प्रबंधन तंत्र के लकवा ग्रस्त होने का परिणाम को रेखांकित करती है ? इस प्रश्न का उत्तर तलाशने के लिए हमें इस संकट से जुड़े विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है।

अध्ययन का उद्देश्य (Objectives of study)

प्रस्तुत आलेख अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विश्वव्यापी महामारी कोविड–19 के दौरान भारत के आपदा प्रबंधन तंत्र का विस्तृत रूप से मूल्यांकन करना हैं। जिसमें विशेष रूप से स्वतंत्रता के उपरांत आपदा प्रबंधन के संदर्भ में निर्मित पहले कानून राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं का मूल्यांकन करके उसकी प्रासंगिकता एवं कमियों का विवेचन करना है। इस संकट में भारत सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत घोषित तालाबंदी के दौरान उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करके भारत के आपदा प्रबंधन तंत्र के समक्ष उभरती हुई चुनौतियां का मूल्यांकन करना साथ ही इस संदर्भ में आवश्यक सुझावों को प्रस्तुत करना हैं। प्रस्तुत अध्ययन का यह भी उद्देश्य है कि कोविड–19 संकट का भारत पर भविष्य में क्या–क्या प्रभाव हो सकता है तथा उससे निपटने की भारत सरकार की क्या–क्या संभावित रणनीतियां भी हो सकती है।

विषय विस्तार

प्रकृति व मानव जनित आपदाएं वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर समय समय पर आती रहती हैं। किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक व प्रशासनिक सक्षमता का मापन इसी बात से होता है कि वह उस आपदा से निपटने व उसके प्रभाव को कम करने में कितनी सक्षम है। भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में आजादी के लगभग 55 वर्ष उपरांत आपदा प्रबंधन के महत्व को समझा गया तथा ष्आपदा प्रबंधन अधिनियम –2005, 27 सितंबर 2006 को संसद द्वारा पारित लागू किया गया। जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर 'राज्य आपदा प्राधिकरण' (SDMA) के गठन का प्रावधान किया गया, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की एक टीम के माध्यम से कार्य करता है। यह राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण भारत में किसी भी प्रकार की आपदा के समय उस आपदा से निपटने की रणनीति बनाने एवं उस पर निगरानी रखकर विभिन्न इकाइयों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। इसी अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में 'राज्य आपदा प्राधिकरण' (SDMA) का गठन किया जाना था जिसे राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण की कार्ययोजनाओं को प्रत्येक राज्य में लागू करता है। यहां यह गौर करने वाली बात है कि केंद्रीय व राज्य दोनों स्तरों पर आपदा प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति क्रमशः से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री द्वारा ही की जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह आयोग इस मामले में भिन्न है क्योंकि अन्य आयोगों में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति हेतु या तो नियुक्ति समितियां होती है अथवा मंत्री परिषद द्वारा नियुक्तियां की जाती है। राष्ट्रीय व राज्य दोनों ही स्तरों पर आपदा प्रबंधन कार्यकारी समिति (Disaster Management Executive Council) का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है जिसकी अध्यक्षता क्रमशः से केंद्रीय गृह सचिव व राज्य का मुख्य सचिव करता है। इस अधिनियम में जिला स्तर पर भी जिला कलेक्टर के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन तंत्र की एक स्पष्ट रूपरेखा है, साथ ही नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्सिव फोर्स (NDRF) के गठन का भी प्रावधान है।वर्तमान में, एनडीआरएफ में 12बटालियन हैं ,जिनमें BSF और CRPF से तीन–तीन और CISF SSB और ITBP से दो–दो बटालियन हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम में एक सुदृढ़ आपदा तंत्र के निर्माण का प्रयास किया गया है।

कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अधिनियम की धारा 6 की शक्तियों से का प्रयोग करके इस लॉकडाउन को घोषित किया है जिसके अंतर्गत प्राधिकरण ने राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को ये निर्देश जारी किए हैं।

इसके अंतर्गत इस अधिनियम की धाराओं, 51 से 60 को पूरे देश में लागू कर कर दिया गया। लेकिन यहां दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गौर करना होगा। पहला– क्या आपदा प्रबंधन अधिनियम का भारत में सुचारू रूप से एक का क्रियान्वयन हो रहा है ? दूसरा–क्या भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन सहित किए गए प्रयास आपदा प्रबंधन के आधारभूत मानकों को पूरा कर रहे हैं ?

कोविड–19 के संकट से निपटने की तैयारियों का यदि मूल्यांकन किया जाए तो अभी तक की तैयारियों में अनेक प्रकार की कमियों को रेखांकित किया गया है इसके लिए भारत के आपदा प्रबंधन तंत्र के विभिन्न पक्षों की विवेचना करना आवश्यक हो जाता है। गौरतलब है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के पारित होने के 15 वर्ष पर उपरांत भी न तो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण कि कोई स्पष्ट रूपरेखा एवं प्रभावी भूमिका देखी गई है तथा न हीं अभी तक इस अधिनियम के तहत आपदाओं के दौरान चुनौतियों से निपटने के लिए गठित किया जाने वाला 'राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया' (NDRF) कि कोई स्पष्ट रूपरेखा व भूमिका तैयार हुई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकांश राज्य में 'राज्य आपदा प्राधिकरण' (SDMA) का गठन ही नहीं किया गया हैं। हालांकि 1 जून 2016 को पहली बार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना(NDMP) को केंद्र सरकार ने तैयार किया जिसमें जापान में 2015 में सेंडाई फ्रेमवर्क में घोषित चार प्राथमिकताओं को आपदा जोखिम में कमी करने के फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है। इसके लिये पाँच कार्यक्षेत्र निम्न हैं

1. जोखिम को समझना
2. एजेंसियों के बीच सहयोग
3. आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction & DRR) में सहयोग– संरचनात्मक उपाय
4. क्षमता विकास

लेकिन लगभग 5 वर्षों के उपरांत भी अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन कि इस राष्ट्र योजना को धरातल पर नहीं उतारा जा सका है। यदि हमारी सरकारों की राजनीतिक एवं प्रशासनिक दुर्दशा इस सीमा तक है तो आखिर कैसे हमारी सरकार कोरोना संकट जैसी आपदाओं से निपट पाएंगे तथा किस तरह से सरकारों के प्रयासों को साहसिक करार दिया जाए ? वस्तुतः बिना किसी ठोस आधारभूत संरचना व रणनीति के अभाव में सरकारों के द्वारा किए गए साहसिक प्रयासों को दुसहासिक या अपनी कमजोरियों को छुपाने वाला कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए।

कोविड–19 के इस वैश्विक महामारी के दौरान भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को आपदा प्रबंधन की दृष्टि से मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है कि आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया के मापदंडों पर इनका मूल्यांकन किया जाए। वस्तुत: आपदा प्रबंधन के तीन प्रमुख चरण प्रमुख रूप से माने गए हैं जिसमें पहला चरण होता है आपदा के पूर्वानुमान का सही आकलन करना और उसके आधार पर आपदा से पूर्व ठोस कार्ययोजना का निर्माण करना। दूसरा चरण होता है जब आपदा आ चुकी होती है तब आपदा से निपटने के लिए कार्ययोजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा तीसरा चरण होता है आपका के गुजर जाने के उपरांत आपदा के साइड इफेक्टों को कम करके सामान्य स्थिति बहाल करना। कोरोना संकट के अंतर्गत भारत सरकार के कदमों को उपर्युक्त तीनों मापदंडों के आधार पर मापना चाहिए। गौरतलब है कि भारत में कोरोनावायरस का संकट बहुत देर से आया है इससे 3 माह पूर्व इस वायरस द्वारा चीन, इटली व जर्मनी सहित कई देशों में तबाही देखी जा रही थी। दक्षिणी कोरिया और सिंगापुर जैसे विदेशों में इस संकट से निपटने की प्रभावी कार्य योजनाओं को भी देखा जा चुका था। क्या भारत सरकार के लिए वैश्विक स्तर तांडव मचा रही इस प्रकार की संक्रामक महामारी जनित आपदा का सही पूर्वानुमान नहीं लगाना निश्चित रूप से ही आपदा प्रबंधन की मापदंड के अनुसार बहुत बड़ी विफलता मानी जा सकती हैं। यदि सही समय पर भारत का आपदा प्रबंधन तंत्र कोविड–19 के संकट का पूर्वानुमान लगाकर विदेशों से आने वाले लोगों की सही स्क्रीनिंग,जांच, आइसोलेशन व कड़ी निगरानी रखता तो निश्चित रूप से ही विशेषज्ञों का यह मानना है कि आज भारत जिस लॉकडाउन की प्रक्रिया से गुजर रहा हैं। तथा जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह तहस–नहस होने के कगार पर है शायद उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इस आपदा की तीव्रता को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि समय रहते , हमारे आपदा प्रबंधन तंत्र को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं , स्वास्थ्य सेवाओं व प्रशासनिक स्तर की तैयारी कर लेना चाहिए था। दक्षिण कोरिया तथा सिंगापुर जैसे देशों ने इस क्षेत्र में समय रहते प्रभावी कदम उठाकर अपने नागरिकों को लॉकडाउन जैसी समस्या से बचा लिया है। कोविड–19 की इस आपदा की चुनौती से निपटने में विशेषज्ञों का सबसे अधिक बल इस बात पर रहा है कि अधिक से अधिक संक्रमित लोगों की जांच करके उन्हें शेष अवधि से आइसोलेट कर दिया जाना चाहिए । अभी तक लाइलाज इस महामारी के विस्तार को रोकने का उचित समाधान यही है कि संक्रमित लोगों कि सही समय पर पहचान करके उन्हें क्वॉरेंटाइन किया जाए। लेकिन भारत में जांच प्रक्रिया जिस धीमी गति से चल रही है वह निश्चित रूप से ही आपदा प्रबंधन के मानकों पर खरी नहीं उतर रही है। भारत की आबादी का 5 % से भी कम हिस्से वाले दक्षिणी कोरिया ने केवल अधिक जांच के माध्यम से इस महामारी पर नियंत्रण पाया है।भारत सरकार को इस आपदा के पूर्वानुमान तथा उससे निपटने की रणनीति के लिए विश्व के अन्य कोरोनावायरस से ग्रसित देशों की तुलना में बहुत अधिक समय मिला है यदि भारत में कोरोना संकट की तीसरी अवस्था अर्थात सामुदायिक स्तर पर पहुंचता है और इस कोराना संकट से बड़ी मानवीय क्षति पहुंचती है तो निश्चित रूप से ही यह भारत के आपदा तंत्र की बहुत बड़ी विफलता ही मानी जाएगी।

आपदा प्रबंधन का दूसरा चरण यह कहता है कि आप किसी आपदा के आने के उपरांत प्रभावी तरीके से आपदा योजना को क्रियान्वित किया जाए । इस संदर्भ में

देखा जाए तो 24 मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन की घोषणा किया जाना निश्चित रूप से ही इस संकट के लिए तात्कालिक परिस्थितियों में अति आवश्यक कदम था। लेकिन लॉकडाउन के उपरांत भारत में प्रवासी श्रमिकों का व्यापक स्तर पर पलायन तथा क्वॉरेंटाइन सेंटरों में देखी गई अव्यवस्था से यह सिद्ध हुआ कि लॉकडाउन के लिए सरकार की कोई स्पष्ट कार्ययोजना नहीं थी और न ही इस लॉकडाउन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले परिणामों का पूर्वानुमान किया गया था। जिस समय देश में तालाबंदी की घोषणा की गई वह समय भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या मात्र 536 थी यदि कुछ दिनों का समय देखकर इस तालाबंदी की घोषणा की जाती तो निश्चित रूप से ही तालाबंदी के कारण जिस प्रकार का एक नया संकट देश के समक्ष उत्पन्न हुआ शायद उसे बचा जा सकता था। लॉकडाउन के उपरांत देश की सड़कों व विभिन्न शहरों की गलियों में पलायन , भूख व अफरा तफरी का जो संकट देखा जा रहा है वह सरकार की उपयुक्त कार्ययोजना के अभाव के साथ–साथ भारत की प्रशासनिक ढांचे विफलता का भी परिचायक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत किए गए इस लॉकडाउन के दौरान ऐसा प्रतीत हो रहा है। वैश्विक महामारी कोविड–19 कि आपदा के साथ साथ इस घोषित लॉकडाउन में गरीबी, भुखमरी व पलायन की एक नवीन प्रकार के संकट का भी जन्म हुआ है। इसे आपदा प्रबंधन के भीतर प्रबंधन की आपदा कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। यह इस बात से और सिद्ध हो जाता है कि सड़कों पर अफरातफरी के मंजर के 6 दिन बाद राज्यों व जिलों की सीमाओं को सील करने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। लॉकडाउन की दो चरणों की समाप्ति के उपरांत बिना किसी स्पष्ट कार्ययोजना के राज्यों को अपने अपने प्रवासी श्रमिकों को घर ले जाने की छूट दे दी जाती है। लेकिन इसे किस प्रकार व्यावहारिक रूप दिया जाए इसकी कोई स्पष्ट रणनीति का अभाव होता है। यही कारण है कि प्रवासी श्रमिकों का बड़े स्तर पर भारत की सड़कों पर पलायन देखा गया। इस पलायन के दौरान कई प्रवासी श्रमिक विभिन्न दुर्घटनाओं का शिकार हुए तो कई भोजन के अभाव में भूख से तड़पकर दम तोड़ दिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे आदेशों के पीछे भी कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है।

कोविड–19 के इस संकट ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि भारतीय प्रशासन के भीतर किसी आकस्मिक आपदा के समय किसी भी आकस्मिक रूप से उठाए जाने वाले कदमों के क्रियान्वयन की क्षमता नहीं हैं। वस्तुतः भारतीय प्रशासन की यह स्थिति कोई अचानक से उत्पन्न नहीं हुई बल्कि वर्षों से अनेकों सुधार आयोग ने भारतीय प्रशासन के लकवे से ग्रस्त होने की स्थितियों को बखूबी बताया था और इसके समाधान के लिए कई प्रकार के सुझाव दिए थे। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1968, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारी आयोग1988 व मदन मोहन पंछी आयोग 2007, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2009 ने प्रशासनिक दक्षता व प्रभावशीलता के लिए हजारों सिफारिशें प्रतिपादित की ,लेकिन यह हमारे राजनीतिक व्यवस्था के लकवे ग्रस्त होने का ही परिणाम है कि आज भी इन आयोगों की सिफारिशें धूल खा रही हैं। जब आपदा प्रबंधन अधिनियम जैसे आवश्यक कानूनों का ही विगत 15 वर्षों से क्रियान्वयन नहीं हुआ तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था से प्रशासनिक सुधार की अपेक्षा कैसे जा सकती हैं ? इस लॉकडाउन के दौरान जो पुलिस का जो अमानवीय चेहरा सामने आ रहा हैं वस्तुतः वह भारतीय पुलिस की एक परंपरा बन गया है। आखिर कैसे हम एकाएक पुलिस प्रशासन से किसी संवेदनशील, दक्ष,प्रभावी व मानवीय चरित्र से पूर्ण स्वरूप की अपेक्षा कर सकते हैं ? 1980 के दशक की पुलिस सुधार के संदर्भ में धरमवीर आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें अभी भी राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव के कारण अपने क्रियान्वयन का इंतजार कर रही हैं। भारत जैसे भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र में इसकी आशा करना भी बेमानी होगा क्योंकि पुलिस व प्रशासन नागरिक हितों से अधिक राजनीतिक हितों की पूर्ति अधिक करते हैं।

वस्तुतः अभी तक कोरोना महामारी ने भारत में सिर्फ दस्तक दी है। कल्पना कीजिए यदि कोरोना संकट की शुरुआत चीन, इटली की तरह भारत से होती तो तबाही का क्या मंजर होता ? गहरे से विचार करें तो इसके परिणामों की कल्पना मात्र से मन सिहर उठता है। अभी भी भारत इस संकट से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है यहां यह प्रश्न उठाना अति आवश्यक है कि यदि भारत में कोरोना वायरस सामुदायिक स्तर पर प्रसारित होकर इटली, जर्मनी, अमेरिका व चीन की तरह तबाही का रूप धारण कर लेगा, तो क्या हमारी सरकारों कि इससे निपटने की तैयारियां है ? यहां यह भी अवश्य सोचा जाना चाहिए कि कोरोना संकट समय के साथ चला भी जाएगा, लेकिन इससे उत्पन्न होने वाले आर्थिक चुनौतियों से निपटने की कोई कार्ययोजना हमारी सरकारों के पास है ? यह इसलिए भी चिंताजनक बात है क्योंकि हाल ही की सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) द्वारा जारी इस आंकड़े के अनुसार मार्च 2020 में बेरोजगारी स्वतंत्रता के उपरांत के 23.53% के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई है। शेयर बाजार औंधे मुंह गिर चुके हैं यहां तक कि म्यूच्यूअल फंड कंपनियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए है।लॉकडाउन की वजह से भारत के विकास दर में गिरावट को लेकर बार्कलेज की रिपोर्ट चिंताजनक है। इसमें कहा गया है कि तीन सप्ताह के लॉकडाउन की वजह से कैलेंडर ईयर 2020 में भारत की जीडीपी विकास दर 2.5ः तक गिर सकती है। पहले इसने भारत के लिए 2020 में 4.5 पर्सेंट ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया था। कई अन्य रेटिंग एजेंसियों और वित्तीय संस्थाओं जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निराशाजनक अनुमान लगाए हैं। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस 28 अप्रैल 2020 को जारी अपनी रिपोर्ट में वर्ष 2020 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर 0.2 प्रतिशत कर दिया है। यदि ऐसा होता है तो यह 1992 के आर्थिक सुधारों के बाद देश का सबसे कम ग्रोथ रेट होगा। यदि इस संबंध में अभी भी हमारी कोई कार्ययोजना नहीं है तो निश्चित रूप से ही जो आज हमारी सरकारों द्वारा आपदा के पूर्वानुमान की

विफलता तमका लग रहा है वह भविष्य में उत्पन्न होने वाली विकेट परिस्थितियों के लिए और भी बड़ा हो जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत घोषित इस लॉकडाउन के दौरान भारतीय आपदा प्रबंधन की एक और कमी सामने निकलकर कराई है वह केंद्र व राज्यों के मध्य उचित समन्वय का अभाव होना उल्लेखनीय है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम में केंद्र राज्य व जिला स्तर पर त्रिस्तरीय आपदा प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है लेकिन इन तीनों स्तरों के बीच समन्वय कि कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं बतलाई गई हैं।

कोरोना संकट का भविष्य क्या होगा इस बारे में निश्चित रूप से ही कुछ भी भविष्यवाणी किया जाना संभव नहीं है लेकिन इस संकट से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमारे आपदा प्रबंधन तंत्र ,प्रशासनिक व पुलिस तंत्र को सुदृढ़ किए जाने कि दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ किए जाने की आवश्यकता हैं। आवश्यकता यह भी है कि विकट आपदाओं के समय संघीय ढांचे में केंद्र व राज्यों कि प्रथक–प्रथक भूमिकाएं क्या हो और उन्हें किस प्रकार से एकीकृत किया जाना होगा। इसके लिए न केवल परिस्थितिजन्य नए सुधार आयोग को गठित करके त्वरित रूप से उनके सुझावों पर अमल करने की आवश्यकता हैं। बल्कि वर्षों से लंबित पड़ी सिफारिशों को भी प्रभावी रूप से क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता हैं। इसके लिए राजनीति में चुनाव सुधारों के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था की भर्ती एवं प्रशिक्षण व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता हैं। अब यह समय आ चुका है कि हम हमारे आपदा तंत्र को चुस्त–दुरुस्त बनाए एवं भारत में सामान्यज्ञ आधारित प्रशासनिक सेवाओं को विशेषज्ञ आधारित प्रोफेशनल सेवाओं में तब्दील किया जाए और उसी के अनुसार प्रशासनिक व पुलिस तंत्र का नया स्वरूप विकसित किया जाए। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में गठित आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सदस्य की नियुक्ति की कोई स्पष्ट व्यवस्था बनानी होगी जिसमें सत्ता पक्ष के साथ–साथ विपक्ष अथवा नागरिक समाज की भी बराबर भूमिका हो। आवश्यकता इस बात की भी है कि किसी भी आपदा से निपटने की सबसे अधिक चुनौती जिला स्तर पर ही होती है अतः आपदा प्रबंधन तंत्र में विकेंद्रीकरण लाते हुए जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन तंत्र को अधिक सक्षम बनाना होगा। निश्चित रूप से ही आपदा प्रबंधन अधिनियम को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाकर भविष्य की आने वाली आपदाओं की चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र तैयार करना होगा। भविष्य में भी, किसी अन्य आपदा के समय इसी प्रकार की विफलताओं एवं चुनौतियों का सामना करते हुए देखा जाता है तो निश्चित रूप से ही कोविड–19 की इस वैश्विक आपदा से सीख नहीं लेने की कीमत भारत को चुकानी पड़ सकती है। कोविड–19 की है मानवीय आपदा जहां एक ओर भारत के समक्ष चुनौती है तो वहीं दूसरी ओर किसे भारत को अपने आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने की एक अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष (Conclusion)

कोविड–19 के विश्वव्यापी संकट के दौरान भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ने निश्चित रूप से ही एक आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाई हैं। जिसके कारण भारत सरकार आकस्मिक रूप से आई इस कोविड–19 की आपदा से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सफल रही हैं। लेकिन उपर्युक्त संकट ने भारत के आपदा प्रबंधन तंत्र पर सरकारों कि लंबे समय से की जा रही अनदेखी को भी सामने लाकर रख दिया हैं। कोविड–19 का संकट भारत में विश्व के बहुत से अन्य देशों में कोहराम मचाने के उपरांत दस्तक दिया, लेकिन भारत के आपदा प्रबंधन तंत्र ने इस आपदा की गंभीरता का पूर्वानुमान लगाकर आवश्यक तैयारियां करने में असफल रहा हैं। साथ ही जब भारत सरकार द्वारा 24 मार्च को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत पूरे देश में तालाबंदी कोशिश की तो उसके उपरांत आपदा प्रबंधन के दूसरे चरण में नागरिकों को राहत पहुंचाने के स्थान पर इस तालाबंदी के कारण श्रमिकों के पलायन जैसी अनगिनत नवीन प्रकार की समस्याओं ने आपदा प्रबंधन के स्थान पर प्रबंधन की आपदा को जन्म किया हैं। निश्चित रूप से ही इन सब से भारत सरकार को आवश्यक सीख लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को समकालीन परिस्थितियों में प्रासंगिक बनाने हेतु आवश्यक संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। जिसमें राष्ट्रीय, राज्यों व जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन तंत्र में आवश्यक समन्वय के लिए एक पृथक से समन्वयकारी इकाई के गठन करने की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता सामने उभर कर आई हैं। कोविड–19 का संकट के दौरान आपदा प्रबंधन तंत्र की उजागर कमियों को यदि समय रहते दूर किया जाता है तो निश्चित रूप से ही भविष्य में आने वाली नवीन प्रकार की आपदाओं से निपटने में भारत का आपदा प्रबंधन तंत्र सक्षम होगा अन्यथा सीख नहीं लेने की कीमत भविष्य में भारत को चुकानी होगी।

संदर्भ सूची

गर्ग, एच.एस.,(2015) आपदा प्रबंधन, एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशन /

सिंह, उदयभान,(2018) भारत की आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, प्रभात प्रकाशन /

.गुप्ता, हर्ष के.,(2003) डिजास्टर मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी प्रेस /

भरुचा ई.,(2011), टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, ओरिएंटल ब्लैकस्वान प्रकाशन /

.अग्रवाल, डॉ. विजय (फरवरी 2017 अंक) भारत में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन योजना मासिक पत्रिका, भारत सरकार

दी डिजास्टर मैनेजमेंट एनुअल रिपोर्ट ऑफ नेशनल अथॉरिटी –2006 /

वार्षिक प्रतिवेदन 2016–19, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार /

1मई 2018, दैनिक जागरण अखबार /

2जून 2016, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूजपेपर /

आपदा प्रबंधन पर पाठ्य पुस्तकें– सीबीएसई, एनसीईआरटी, इग्नु /

.http://nidm.gov.in

http://imd.in

.www.bbc.com